रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032026-270615
CG-DL-E-02032026-270615

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947
No. 141] NEW DELHI, WENDESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 147(अ).— स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर, उस तारीख से जिसको राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस (30) दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, निर्दिष्ट अवधि के भीतर निदेशक (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को कक्ष संख्या 252-ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 अथवा ई-मेल: expl-dipp@nic.in; पर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों को स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 21 में, उप-नियम (15) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

"(16) आईएसओ टंकी आधान का उपयोग संपीड़ित गैस के जमीन के ऊपर भंडारण के लिए किया जा सकता है, यदि उसका आधार ठीक तरह से स्थिर रूप में स्थापित किया गया हो। आधार स्थापित करने के बाद संरचनात्मक दृढ़ता को प्रतिष्ठित संरचना अभियंता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 22 के उप-नियम (3), में "एक समूह में छह से अधिक पात्र नहीं होंगे", शब्दों के बाद, "हालांकि, एक समूह में चढ़ाए गए भंडारण पात्रों की संख्या नौ हो सकती है" शब्दों को अंतः स्थापित किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 47 को हटा दिया जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 50 में,

(क) खंड (i) (ग) में, शब्द, "भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टंकी आधान में संपीड़ित गैस के परिवहन की अनुमति" को हटा दिया जाएगा।

(ख) खंड (vi) को हटा दिया जाएगा।

6. उक्त नियमों के, नियम 51 में,

(क) "जिस अवधि के लिए अनुज्ञप्ति", शब्दों के बाद, शब्द, "या अनुमति" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) आईएसओ टंकी आधान में संपीड़ित गैस के परिवहन या आयात और परिवहन के लिए प्ररूप-टध-2 ख में अनुमति दी जाएगी या ऐसी अनुमति प्रदान करने की तारीख से अधिकतम दस वर्ष के अध्यधीन नवीनीकृत की जाएगी।

7. उक्त नियमों में, प्ररूप कध-4 में,

(क) "भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टंकी आधान में संपीड़ित गैस के परिवहन की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन", शीर्षक को, "आईएसओ टंकी आधान में संपीड़ित गैस के आयात और/या परिवहन की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन" शीर्षक से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) खंड (vi) में "आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों के दो सेट होंगे" शीर्षक के तहत, "5000/-रु." शब्द और आंकड़े हटा दिए जाएंगे।

8. उक्त नियमों में, प्ररूप टध-2 की शर्त 16 में,

(क) उपखंड (क) में से "और लाइसेंस प्रदान करने के लिए दस्तावेजों के साथ इन नियमों के नियम 47 के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा", शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(ख) उपखंड (ख) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) एलएनजी केवल ऐसे गैर-परिवहन वाहनों के ईंधन टंकी में वितरित किया जाएगा जो इन नियमों के प्ररूप टध-1ग में अनुज्ञप्ति प्राप्त एलएनजी वितरण स्टेशन या पेट्रोलियम नियमों के प्रारूप XIV में अनुज्ञप्ति प्राप्त पेट्रोलियम वितरण स्टेशन तक नहीं आ सकते और जैसा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है या समुद्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नाव के ईंधन टैंकों में या केंद्रीय सरकार के परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किए गए इंजनों के ईंधन टैंकों में या रेलवे द्वारा संचालित इंजन या परिसर में संचालित किसी अन्य वाहनों में, जो मुख्य नियंत्रक द्वारा विधिवत अनुमोदित केंद्रीय या राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में है और उसके पास ईंधन भरने की वैध अनुमति हो।

9. उक्त नियमों में, प्ररूप टध-2क को हटा दिया जाएगा।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप टध-2ख को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात: -

प्ररूप-टध-2ख

(नियम 49 और 50 देखें)

संपीडित गैस से भरे हुए अथवा भरे जाने वाले आईएसओ टंकी आधान के आयात और/या परिवहन की अनुमति

सेवा में, ____________________

____

विषय: स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के तहत संपीडित गैस से भरे हुए अथवा भरे जाने वाले आईएसओ टैंक कंटेनर का आयात और परिवहन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र सं.____________________ दिनांक _________________ का संदर्भ लें।

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ________________ गैस से भरे हुए अथवा भरे जाने वाले आईएसओ टैंक कंटेनर के आयात और ________________ से ________________ पर स्थित आपके कारखाने के परिसर तक परिवहन (और खाली या भरे आईएसओ टैंक कंटेनर की वापसी) की अनुमति दी जाती है:

1 फैब्रिकेटर का नाम :
2 क्रम संख्या :
3 डिजाइन/कार्यशील दबाव :
4 डिजाइन तापमान :
5 फैब्रिकेशन कोड अथवा प्रकार :
6 पानी की क्षमता :
7 जांच एवं निरीक्षण :
8 प्रमाणपत्र संख्या एवं तारीख :
9 वजन :
10 सेफ्टी वाल्व सेट प्रेशर :
11 बल्क स्टोरेज अनुज्ञप्ति संख्या :

यह अनुमति _______ तक वैध है

निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उपर्युक्त अनुमति प्रदान की जाती है, अर्थात् :-

क) आईएसओ टैंक कंटेनर (कंटेनरों) के परिवहन के दौरान सुरक्षा सावधानियों और स्थिर व गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

ख) वाहन के एक्जॉस्ट में, यदि लागू हो, तो मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित स्पार्क अरेस्टर लगाया जाएगा।

ग) कंटेनर को चढ़ाना अथवा उतारना आपके संगठन के एक जिम्मेदार अधिकारी की प्रत्यक्ष देखरेख में और एक सक्षम व्यक्ति या मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी द्वारा स्थिर व गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के नियम 43 के तहत जारी सुरक्षा प्रमाण-पत्र के तहत किया जाएगा।

घ) बंदरगाह अथवा परिवहन तथा अन्य संबंधित प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति अथवा मंजूरी अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाएगी।

ङ) टैंक का सकल भार वाहन के पंजीकृत लदे भार से अधिक नहीं होगा।

च) उत्पाद को केवल स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 के प्ररूप-ठध-1क में अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर में ही लोड या अनलोड किया जाएगा।

छ) आईएसओ टंकी आधान का उपयोग उस संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए किया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा मंजूरी जारी की गई है।

ज) आईएसओ टंकी आधान पर आईएसओ 6348 की अपेक्षाओं के चिह्नांकन होगा।

झ) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल में यथाविनिर्दिष्ट आईएसओ टंकी आधान का आवधिक निरीक्षण किया जाएगा।

ञ) आईएसओ टंकी आधान की मरम्मत मूल उपकरण विनिर्माता या मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा अनुशंसित और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा अनुमोदित अभिकरणों द्वारा की जाएगी।

ट) अनुज्ञा पत्र को अनुज्ञा प्राप्त वाहन में हर समय रखा जाएगा और नियम 70 में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

ठ) अनुज्ञा प्राप्त वाहन चलाने या तत्सम्बन्धी किसी भी कार्य के लिए केवल ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों को अनुज्ञा दी जाएगी जो अनुमति की शर्तों के जानकार हों।

ड) आईएसओ टंकी आधान को ले जाने वाले वाहन के साथ हमेशा एक जिम्मेदार व्यक्ति तथा संपीड़ित गैस के परिवहन के समय कम से कम दो व्यक्ति मौजूद रहेंगे:

परंतु आईएसओ टंकी आधान को ले जाने वाला वाहन, यदि खाली हो, तो मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में, उस प्रयोजन के लिए स्वीकृत किए गए स्थान पर बिना किसी की मौजूदगी के खड़ा किया जा सकता है।

ढ) आईएसओ टंकी आधान को ले जाने वाले वाहन में हमेशा उपलब्ध रखा जाए –

(क) कम से कम दो पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र, जिनकी क्षमता 9 लीटर से कम न हो और रासायनिक आग बुझाने के लिए उपयुक्त हो;

(ख) ज्वलनशील संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन के मामले में विद्युत बॉन्डिंग के लिए एक मजबूत लचीला केबल; यह केबल कम से कम 5 मीटर लंबा होगा और प्रत्येक छोर पर एक उपयुक्त क्लैम्प या क्लिप होगा।

ण) संपीड़ित गैस का, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा नियमों के अन्तर्गत इस प्रयोजन से अनुज्ञप्त परिसर के अन्दर अनुमोदित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर या जब पात्र मय फिटमेन्ट रिसाव, दोषपूर्ण या अन्यथा असुरक्षित हो, आईएसओ टंकी आधान में/ से लोड या अनलोड नहीं किया जाएगा:

परंतु किसी दुर्घटना या ब्रेक डाउन की स्थिति में आईएसओ टंकी आधान को सभी सावधानियों और पर्याप्त पर्यवेक्षण के साथ किसी भी अन्य स्थान पर अनलोड किया जा सकता है।

त) किसी आईएसओ टंकी आधान द्वारा किसी भी संपीड़ित गैस को सीधे किसी भी प्रोसेस पात्र में डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा।

थ) यदि कोई भी फिटमेंट मय पात्र लीक, दोषपूर्ण या अन्यथा असुरक्षित हो, अनुज्ञा प्राप्त आईएसओ टंकी आधान लोड नहीं किया जाएगा।

द) अनुमति प्राप्त आईएसओ टंकी आधान में से संपीडित गैस लोड या अनलोड करने से पूर्व-

(क) इसके इंजन को बंद कर दिया जाएगा और बैटरी की एक उचित स्विच या अन्यथा अलग किया जाएगा;

(ख) इसके पहिए ब्रेक द्वारा या स्कौचिंग द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे;

(ग) यदि वाहन ज्वलनशील संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो इसकी चेसिस को पाइप के साथ एक केबल द्वारा या जिसमें से इसे लोड या अनलोड किया जाना है, विद्युत रूप से जोड़ा जाएगा;

(घ) दोनों सिरों पर सही प्रकार में भरण या डिस्चार्ज पाइप कनेक्शन किए जाएंगे;

(ङ) जब तक लोडिंग या अनलोडिंग खत्म न हो जाए और वाहन को सील न कर दिया जाए, एक जिम्मेदार व्यक्ति साथ में उपस्थिति में होगा।

ध) ट्रैफिक सिग्नलों पर या अनुज्ञापन प्राधिकारी की आवश्यकतानुसार या नियमों को लागू करने वाले किसी अन्य अधिकारी के कहे जाने के अतिरिक्त आईएसओ टंकी आधान को ले जाने वाला वाहन किसी सड़क पर, भीड़भाड़ युक्त स्थान

पर या किसी ऐसे स्थान पर जो आईएसओ टंकी आधान वाहन के लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति परिसर के अन्दर कोई स्थान नहीं है, नहीं रोका जाएगा।

न) किसी ज्वलनशीन गैस के परिवहन के लिए उपयोग में लाए जा रहे अनुमति प्राप्त वाहन पर धूम्रपान और किसी भी प्रकार के अग्नि का स्रोत या कृत्रिम रोशनी या कोई वस्तु जो ज्वलनशील वाष्प उत्पन्न कर सकता है, की अनुज्ञा नहीं होगी।

प) आईएसओ टंकी आधान वाहन यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

फ) अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित पूर्वानुमति के बिना आईएसओ टंकी आधान या उसकी सुरक्षा फिटिंग्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। मंजूर किए गए ऐसे बदलाव अनुज्ञप्ति में संशोधन के रूप में पृष्ठांकित होने चाहिए।

ब) अनुमति प्राप्त आईएसओ टंकी आधान के अन्दर घटित किसी दुर्घटना, अग्नि, विस्फोट या किसी अप्रिय घटना की सूचना संप्रेषण के शीघ्रगामी साधन द्वारा तत्काल मुख्य नियंत्रक, नियंत्रक, निकटतम पुलिस थाना और जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी।

टिप्पण:-

1. उपरोक्त अनुज्ञा सुरक्षा के हित में और शर्तों के उल्लंघन की दशा में, आवश्यक होने पर किसी भी समय समीक्षा, संशोधन किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है।

[फा. सं. 2(1)/2017-विस्फोटक]

जय प्रकाश शिवहरे, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप- खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि.1109 (अ) द्वारा तारीख 1 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. 388 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 2018, सा.का.नि 148 (अ), दिनांक 25 फरवरी, 2019, सा.का.नि. 609(अ) तारीख 31 अगस्त, 2021, सा.का.नि 283 (अ) तारीख 28 अप्रैल, 2025, सा.का.नि 374 (अ) तारीख 5 जून, 2025 और सा.का.नि 422 (अ) तारीख 25 जून, 2025 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2026

G.S.R. 147(E).—The draft of the following rules further to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after thirty (30) days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 252 'A', Udyog Bhawan, New Delhi – 110001 or Email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

Draft rules

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 (hereinafter referred to as said rules), in rule 21, after sub rule (15), the following shall be inserted namely:-

"(16) ISO Tank Container can be used for, above ground storage compressed gas, if properly anchored to the foundation. The structural integrity after anchoring to the foundation shall be certified by reputed structural engineer."

3. In the said rules, in Rule 22 in sub rule (3), after the words, "vessels in one group shall not exceed six", the words, ", however, the number of mounded storage vessels in one group can be nine." shall be inserted.

4. In the said rules, rule 47 shall be omitted.

5. In the said rules in rule 50,

(a) in clause (i)(c), the words, "permission to transport compressed gas in ISO Tank Container within the Indian territory or to" shall be deleted.

(b) clause (vi) shall be deleted.

6. In the said rules, in rule 51,

(a) after the words, "Period for which licences", the words, "or permission" shall be inserted.

(b) after sub rule (3), the following shall be inserted namely:-

"(4) A permission in Form-LS-2B for the transport or import and transport of the compressed gas in ISO tank container shall be granted or renewed subject to a maximum ten years from the date of grant of such permission."

7. In the said rules, in form AS-4,

(a) for the title, "APPLICATION FOR THE GRANT OF PERMISSION TO TRANSPORT COMPRESSED GAS IN ISO TANK CONTAINERS WITHIN INDIAN TERRITORY" , the title, "APPLICATION FOR THE GRANT OF PERMISSION TO IMPORT AND / OR TRANSPORT COMPRESSED GAS IN ISO TANK CONTAINERS" shall be substituted."

(b) in clause (vi) under title "Application shall accompany two sets of following documents", the words and figures "Rs. 5000/-]" shall be deleted.

8. In the said rules in form LS-2, in condition 16,

(a) in sub clause (a) the words, "and No Objection Certificate issued under Rule 47 of these rules from the concerned Authority shall be submitted along with documents for grant of license" shall be deleted.

(b) in sub clause (b) the following shall be substituted namely:-

"(b) LNG shall be dispensed only in the fuel tank of the non transport vehicles which can never approach the LNG dispensing station licensed in Form LS-1C of these Rules or petroleum dispensing station licensed in Form XIV of the Petroleum Rules and as specified by the Central Motor Vehicles Rules, 1989 or into fuel tanks of boat as approved by the Maritime Board or fuel tanks of engines tested by Central Government Testing Laboratories or engine operated by Railways or any other vehicles operated in the premises which are under direct control of the Central or State Government duly approved by the Chief Controller and shall have valid filling permission."

9. In the said rules, form LS-2A shall be omitted.

10. In the said rules, form LS-2B shall be substituted namely: -

"FORM-LS-2B

(See Rule 49 and 50)

PERMISSION FOR IMPORT AND/ OR TRANSPORT OF ISO TANK CONTAINER FILLED OR INTENDED TO BE FILLED WITH COMPRESSED GAS

To, ____________________ ____________________

Sub: Import and transport of ISO tank container filled or intended to be filled with compressed gas under Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, -2016.

Sir,

Please refer to your letter No____________________ Dated __________________ on the above subject.

Permission is hereby accorded for import of ISO Tank Container filled with or intended to be filled with_________________ gas and transport from ____________to your factory premises located at___________________ (and return of empty or filled ISO Tank Container) as per the details furnished below:

1. Name of the Fabricator
2. Serial No. : :
3. Design/Working Pressure :
4. Design Temperature :
5. Fabrication Code/Type
6. Water Capacity
7. Test and Inspection
8. Certificate No.& date.
9. Weight
10. Safety Valve Set Pressure :
11. Bulk Storage Licence No. :

The permission is valid till _______

The above permission is accorded subject to the following conditions, namely:-

a) Safety precautions and relevant provisions of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 should be strictly complied with during transportation of the ISO Tank Container(s).

b) The exhaust of the vehicle shall be fitted with a spark Arrestor of a make approved by the Chief Controller of Explosives if applicable.

c) The mounting or demounting of the container shall be carried out under the direct supervision of a responsible officer of your Organisation and a Safety Certificate under Rule 43 issued under Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 by a competent person or Third Party Inspection Agency duly recognized by the Chief Controller of Explosives.

d) Necessary permission or clearance or licences shall be obtained from Port or Transport and any other authority concerned.

e) The gross weight of the tank shall not exceed the Registered Laden Weight of the vehicle.

f) Product shall be loaded or unloaded only in the premises licensed in FORM-LS-1A of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules 2016.

g) ISO Tank Container shall be used for transportation of compressed gas for which permission is granted

h) ISO Tank Container shall bear Markings as per the requirements of ISO 6348.

i) Periodic inspection of ISO Tank Container shall be carried out as specified in International Maritime Dangerous Goods.

j) Repair of ISO Tank Container shall be carried out by Original Equipment Manufacturer or agencies recommended by Original Equipment Manufacturers and approved by Petroleum and Explosives Safety Organisation.

k) The permission letter shall be kept at all times in the permitted vehicle and produced on demand by an officer specified in rule 70.

l) Only responsible persons who are conversant with the conditions of this permission shall be employed for driving the Permitted vehicle or attending to it.

m) The vehicle carrying ISO Tank container shall be constantly attended to by a responsible person and by at least two persons while it is transporting compressed gas:

Provided that the vehicle carrying ISO Tank container may, if empty, be kept unattended in a place approved for the purpose, in writing, by the Chief Controller or Controller.

n) The vehicle carrying ISO Tank container shall at all times carry –

(a) at least two portable fire extinguishers of capacity not less than 9 litres and suitable for extinguishing chemical fires;

(b) a strong flexible cable for electrical bonding in case of vehicle used for transportation of flammable compressed gas; the cable shall be at least 5 metres long and shall have at each end a suitable clamp or clip.

o) The compressed gas shall not be loaded or unloaded in/from ISO Tank Container except in a place which is approved within the premises licensed for the purpose under the rules by the Chief Controller or Controller or when the fitments including vessel becomes leaky, defective or otherwise insecure. Provided that the permitted ISO Tank Container may be unloaded at any other place with all the precautions and under adequate supervision if such unloading is necessitated by an accident or break down.

p) No ISO Tank Container shall discharge any compressed gas directly into any process vessel.

q) The permitted ISO Tank Container shall not be loaded if any of the fitments including vessel becomes leaky, defective or otherwise insecure.

r) Before compressed gas is loaded into or unloaded from the permitted ISO Tank Container –

(a) its engine shall be stopped and the battery shall be isolated by a proper switch or otherwise;

(b) its wheels shall be secured by brakes or by scotching;

(c) its chassis shall be electrically bonded by a cable with the pipe into or from which it is to be loaded or unloaded, in case of vehicle used for transportation of flammable compressed gas;

(d) the correct filling or discharge pipe connections are made at both ends;

(e) a responsible person shall be in attendance and remain so until loading or unloading is over and the vehicle has been sealed.

s) Except when called upon by traffic signals or required by the licensing authority or any other officer entrusted with the job of enforcing the rules, the vehicle carrying ISO Tank container shall not stop on any road, congested area or a place which is not a place situated within the premises licensed under the rules for the loading and unloading of ISO Tank Container vehicle.

t) No smoking and no fire or artificial light or any article capable of igniting flammable vapour shall be allowed on the permitted vehicle used for the transportation of any flammable gas.

u) The ISO Tank Container vehicle shall not be used for carrying passengers.

v) No alteration in the permitted ISO Tank Container or its safety fittings shall be carried out without previous sanction in writing of the licensing authority. Such alteration so sanctioned shall be endorsed on the licence by an amendment.

w) Any accident, fire, explosion or untoward incident occurred within the permitted ISO Tank Container vehicle shall be immediately reported to the Chief Controller, Controller, nearest police station and District Magistrate by quickest mode of communication.

Note:-

1. The above permission may be reviewed, amended and withdrawn at any time, if considered necessary in the interest of safety and contravention of conditions."

[F. No. 2(1)/2017-Explosives]

JAI PRAKASH SHIVAHARE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification G.S.R. 1109 (E), dated the 1st December, 2016 and subsequently amended vide G.S.R 388(E), dated the 20th April, 2018, G.S.R 148(E), dated the 25th February, 2019, G.S.R. 609 (E) dated 31st August, 2021, G.S.R. 283(E) dated 28th April, 2025, G.S.R. 374(E) dated 5th June, 2025 and G.S.R. 422(E) dated 25th June, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.02 15:36:07 +05'30'